न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 544/18

वादी :– जुल्फीकार पुत्र श्री सराजुद्दीन, जाति सिपाही (मुसलमान), निवासी मेड़ता शहर, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रूस्तम पुत्र श्री इकबाल, जाति मुसलमान(सिपाही), निवासी गौरियों का मौहल्ला, मेड़ता शहर, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
2. इकबाल पुत्र श्री नवाब खां, जाति (सिपाही), निवासी गौरियों का मौहल्ला, मेड़ता शहर, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
3. तहसीलदार, मेड़ता।
4. पटवारी हल्का, मेड़ता।

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 662/18

प्रार्थी :– जुल्फीकार पुत्र श्री सराजुद्दीन, जाति सिपाही (मुसलमान), निवासी मेड़ता शहर, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रूस्तम पुत्र श्री इकबाल, जाति मुसलमान(सिपाही), निवासी गौरियों का मौहल्ला, मेड़ता शहर, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
2. इकबाल पुत्र श्री नवाब खां, जाति (सिपाही), निवासी गौरियों का मौहल्ला, मेड़ता शहर, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

3. तहसीलदार, मेड़ता।

4. पटवारी हल्का, मेड़ता।

दावा घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी. सी. सपठित धारा 141 सी.पी.सी.

निर्णय दिनांक :– 14.10.2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी श्री महेन्द्र चौधरी ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट में प्रस्तुत किया। जो दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से दावा में वकील श्री अब्दुल सलीम अंसारी ने वकालतनामा पेश किया।

2. वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने **दावे में** प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं अन्य

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

खातेदारान की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1253 व 1256(पुराना खसरा नम्बर 1795 व 1796) है। उक्त खसरान के संबंध मे विवाद नही है यानि विवाद की विषयवस्तु नही है। वादी ने खसरा नम्बर 5503/1247 अथवा खसरा नम्बर 1247 पर अपना कोई खातेदारी हक, काश्त, कब्जा का क्लेम नही किया और न ही वादी का खातेदारी हक, काश्त, कब्जा ही है। वादी ने अपने खेत खसरा नम्बर 1253 व 1256 के सामने आम रास्ता खसरा नम्बर 1246 है। आम रास्ता खसरा नम्बर 1246 वादी के उक्त खसरान के पश्चिम में है। पुराना खसरा नम्बर 1623, 1624 व 1798 पर वादी का खातेदारी हक, काश्त, कब्जा का क्लेम नही है। वादी का खसरा नम्बर 5503/1247 के संबंध में खातेदारी हक की घोषणा का क्लेम न होने से घोषणा के वाद का वादकरण प्रकृट नही है और न ही वादी का वादकरण उत्पन्न ही है। वादी ने गलत व झुठे तथ्यों के आधार पर रास्ता के अधिकार का गलत व झुंठा क्लेम किया है। रास्ता के अधिकार का विवाद प्रस्तुत वाद में पोषणीय नही है। वादी को राईट टू सी नही है। वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होने से भी खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद मय खर्चा खारिज किया जावें।

3. वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का **जवाब** पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर 1 का जवाब है कि प्रतिवादीगण द्वारा बताये खसरा नम्बर 1253 व 1256 का विवाद नही होना बताया है। इस संबंध में यह कहना सुसंगत है कि उक्त खसरान का वादी रेकॉडेड

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

खातेदार है तथा उक्त खसरान के चिपते ही वादग्रस्त खसरान आये हुए है। जिनमें रेकर्ड अशुद्धि के कारण व मौके की स्थिति परिवर्तन के कारण वादी के हक व अधिकार प्रभावित हो रहे है और वादी की उक्त खातेदारी की जमीन प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कृत्य के कारण सम्पूर्ण रूप से अनुपर्युक्त हो रही है। इस वजह से वादी रेकर्ड दुरूस्ती का वाद भी साथ में प्रस्तुत किया है। इस वजह से प्रतिवादी द्वारा यह कहना कि उक्त खसरा नम्बर 1253 व 1256 विवाद की विषयवस्तु नही है, यह कथन गलत है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का यह फिकरा गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर 2 का जवाब है कि खसरा नम्बर 5503/1247 के संबंध में रेकर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया गया है। इसमें वादी का यह कथन है कि खसरा नम्बर 5503/1247 को नक्शे में तरमीम किया हुआ नही है तथा उक्त खसरा की आड़ में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा नाजायज व गैरकानूनी रूप से आम रास्ता की भूमि पर व गलत स्थान पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है, जिसका प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई हक व अधिकार नही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपनी खातेदारी से अधिक भूमि बैचान करने का भी कोई हक व अधिकार नही है। इस संबंध में वादी ने रेकर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया है तथा उक्त खसरा को नक्शे में तरमीम किये जाने का भी वाद प्रस्तुत किया है। इस प्रकार वादी का खातेदारी हक काश्त व कब्जा के संबंध में वाद नही है। इस संबंध में रेकर्ड दुरूस्ती का वाद है तथा यह घोषणा करवाने का भी वाद है कि राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

द्वारा अपनी खातेदारी भूमि बैचान करने के बाद राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से खातेदारी का इन्द्राज चला आ रहा है, प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खातेदारी से हटाये जाने की घोषणा के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी ने वाद के विपरीत कथन करके उक्त प्रार्थना पत्र मे यह तथ्य अंकित किये है। इस वजह से प्रार्थना पत्र का यह फिकरा भी गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर 3 का जवाब है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने इस बात को स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 1253 व 1256 के सामने आम रास्ता खसरा नम्बर 1246 है। आम रास्ता खसरा नम्बर 1246 वादी के उक्त खसरान के पश्चिम में है। मगर उक्त रास्ता की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अतिक्रमण करने का व रास्ता बंद करने का कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर 4 का जवाब है कि पुराने खसरा नम्बर 1623, 1624 व 1798 पर वादी का खातेदारी हक, काश्त, कब्जा का क्लेम नही है। इस संबंध में वादी ने कोई गलत तथ्य वाद में अंकित नही किये है। मगर रेकर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत करने व राजस्व भूमि पर किये जा रहे गैरकानूनी कृत्य को रोकने हेतु वाद में गलत तथ्य बताना आवश्यक नही है। इस वजह से भी प्रार्थना पत्र का यह फिकरा गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर 5 का जवाब है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा नीवें खोदकर पत्थर डालकर निर्माण कार्य शुरू करना पाया है, जो रास्ते की भूमि पर वादी के खेत के

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

सामने होना पाया है। जिससे वादकरण तो प्रथम दृष्टया पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से ही स्पष्ट है। इस प्रकार वादकरण उत्पन्न न होने का कथन जो प्रतिवादीगण द्वारा किया गया है, वह पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर 6 का जवाब है कि वादी ने कोई गलत व झुठे तथ्यों के आधार पर रास्ते के अधिकार का गलत व झुठा क्लेम नही किया है। रास्ता के अधिकार का विवाद माननीय न्यायालय द्वारा ही घोषणीय है। यहां रास्ते का विवाद मूल विवाद नही है, मूल विवाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 5503/1247 रकबा 0.47 हैक्टेयर की भूमि नक्शे में तरमीम न होने से उक्त रकबा से अधिक भूमि का बैचान करके फिर भी राजस्व रेकर्ड में अपनी खातेदारी का नाम बताते हुए इस गलत खातेदारी के आधार पर रास्ते की भूमि पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसके संबंध में रेकर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस वजह से रेकर्ड दुरूस्ती का वाद केवलमात्र राजस्व न्यायालय द्वारा ही सुना जा सकता है और माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का है। इस वजह से वादी का वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिससे वाद बार्ड बाई लॉ नही है। जिससे प्रार्थना पत्र का यह फिकरा गलत होने से अस्वीकार है। **मजीद उजरात :–** वादी द्वारा प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होना मानकर दर्ज रजिस्टर किया जा चुका है तथा प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से जवाबदावा प्रस्तुत करने के बाद अगर किसी प्रकार की आपत्ति हो तो कानूनी तनकी बनायी जाकर उसका निस्तारण प्रारम्भिक

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

तनकी के रूप में किया जा सकता है। मगर अपने बचाव पक्ष की साक्ष्य को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करके बार्ड बाई लॉ का अवलम्बन नही लिया जा सकता। इस वजह से प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र मय खर्चा व हर्जा के खारिज फरमाया जावें।

4. वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 सी. पी.सी. सपठित धारा 141 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन है कि वादी एवं अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1253 व 1256(पुराना खसरा नम्बर 1795 व 1796) है। उक्त खसरान के संबंध मे विवाद नही है यानि विवाद की विषयवस्तु नही है। वादी ने खसरा नम्बर 5503/1247 अथवा खसरा नम्बर 1247 पर अपना कोई खातेदारी हक, काश्त, कब्जा का क्लेम नही किया और न ही वादी का खातेदारी हक, काश्त, कब्जा ही है। वादी ने अपने खेत खसरा नम्बर 1253 व 1256 के सामने आम रास्ता खसरा नम्बर 1246 है। आम रास्ता खसरा नम्बर 1246 वादी के उक्त खसरान के पश्चिम में है। पुराना खसरा नम्बर 1623, 1624 व 1798 पर वादी का खातेदारी हक, काश्त, कब्जा का क्लेम नही है ।वादी का खसरा नम्बर 5503/1247 के संबंध में खातेदारी हक की घोषणा का क्लेम न होने से घोषणा के वाद का वादकरण प्रकृट नही है और न ही वादी का वादकरण उत्पन्न ही है। वादी ने गलत व झुठे तथ्यों के आधार पर रास्ता के अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

का गलत व झुंठा क्लेम किया है। रास्ता को अधिकार का विवाद प्रस्तुत वाद में पोषणीय नही है। वादी को राईट टू सी नही है। वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होने से भी खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावें।

5. वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 141 सी.पी.सी. का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर 1 का जवाब है कि अप्रार्थीगण द्वारा बताये खसरा नम्बर 1253 व 1256 का विवाद नही होना बताया है। इस संबंध में यह कहना सुसंगत है कि उक्त खसरान का प्रार्थी रेर्कोडेड खातेदार है तथा उक्त खसरान के चिपते ही वादग्रस्त खसरान आये हुए है। जिनमें रेकर्ड अशुद्धि के कारण व मौके की स्थिति परिवर्तन के कारण प्रार्थी के हक व अधिकार प्रभावित हो रहे है और प्रार्थी की उक्त खातेदारी की जमीन अप्रार्थीगण द्वारा किये गये कृत्य के कारण सम्पूर्ण रूप से अनुपर्युक्त हो रही है। इस वजह से प्रार्थी रेकर्ड दुरूस्ती का वाद भी साथ में प्रस्तुत किया है। इस वजह से अप्रार्थी द्वारा यह कहना कि उक्त खसरा नम्बर 1253 व 1256 विवाद की विषयवस्तु नही है, यह कथन गलत है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का यह फिकरा गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर 2 का जवाब है कि खसरा नम्बर 5503/1247 के संबंध में रेकर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रार्थी का यह कथन है कि खसरा नम्बर 5503/1247 को नक्शे में तरमीम किया हुआ नही है

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

तथा उक्त खसरा की आड़ में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा नाजायज व गैरकानूनी रूप से आम रास्ता की भूमि पर व गलत स्थान पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है, जिसका अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कोई हक व अधिकार नही है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अपनी खातेदारी से अधिक भूमि बैचान करने का भी कोई हक व अधिकार नही है। इस संबंध में प्रार्थी ने रेकर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया है तथा उक्त खसरा को नक्शे में तरमीम किये जाने का भी वाद प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रार्थी का खातेदारी हक काश्त व कब्जा के संबंध में वाद नही है। इस संबंध में रेकर्ड दुरूस्ती का वाद है तथा यह घोषणा करवाने का भी वाद है कि राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि बैचान करने के बाद राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से खातेदारी का इन्द्राज चला आ रहा है, अप्रार्थी संख्या 1 का नाम खातेदारी से हटाये जाने की घोषणा के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी ने वाद के विपरीत कथन करके उक्त प्रार्थना पत्र मे यह तथ्य अंकित किये है। इस वजह से प्रार्थना पत्र का यह फिकरा भी गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर 3 का जवाब है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने इस बात को स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 1253 व 1256 के सामने आम रास्ता खसरा नम्बर 1246 है। आम रास्ता खसरा नम्बर 1246 प्रार्थी के उक्त खसरान के पश्चिम में है। मगर उक्त रास्ता की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अतिक्रमण करने का व रास्ता बंद करने का कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर 4 का जवाब है

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

कि पुराने खसरा नम्बर 1623, 1624 व 1798 पर प्रार्थी का खातेदारी हक, काश्त, कब्जा का क्लेम नही है। इस संबंध में प्रार्थी ने कोई गलत तथ्य वाद में अंकित नही किये है। मगर रेकर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत करने व राजस्व भूमि पर किये जा रहे गैरकानूनी कृत्य को रोकने हेतु वाद में गलत तथ्य बताना आवश्यक नही है। इस वजह से भी प्रार्थना पत्र का यह फिकरा गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर 5 का जवाब है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा नीवें खोदकर पत्थर डालकर निर्माण कार्य शुरू करना पाया है, जो रास्ते की भूमि पर प्रार्थी के खेत के सामने होना पाया है। जिससे वादकरण तो प्रथम दृष्टया पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से ही स्पष्ट है। इस प्रकार वादकरण उत्पन्न न होने का कथन जो अप्रार्थीगण द्वारा किया गया है, वह पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर 6 का जवाब है कि प्रार्थी ने कोई गलत व झुठे तथ्यों के आधार पर रास्ते के अधिकार का गलत व झुठा क्लेम नही किया है। रास्ता के अधिकार का विवाद माननीय न्यायालय द्वारा ही घोषणीय है। यहां रास्ते का विवाद मूल विवाद नही है, मूल विवाद अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 5503/1247 रकबा 0.47 हैक्टेयर की भूमि नक्शे में तरमीम न होने से उक्त रकबा से अधिक भूमि का बैचान करके फिर भी राजस्व रेकर्ड में अपनी खातेदारी का नाम बताते हुए इस गलत खातेदारी के आधार पर रास्ते की भूमि पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसके संबंध में

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

रेकर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस वजह से रेकर्ड दुरूस्ती का वाद केवलमात्र राजस्व न्यायालय द्वारा ही सुना जा सकता है और माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का है। इस वजह से प्रार्थी का वाद व प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिससे वाद बार्ड बाई लॉ नही है। जिससे प्रार्थना पत्र का यह फिकरा गलत होने से अस्वीकार है। **मजीद उजरात :–** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होना मानकर दर्ज रजिस्टर किया जा चुका है तथा अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से जवाबदावा प्रस्तुत करने के बाद अगर किसी प्रकार की आपत्ति हो तो कानूनी तनकी बनायी जाकर उसका निस्तारण प्रारम्भिक तनकी के रूप में किया जा सकता है। मगर अपने बचाव पक्ष की साक्ष्य को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करके बार्ड बाई लॉ का अवलम्बन नही लिया जा सकता। इस वजह से अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र मय खर्चा व हर्जा के खारिज फरमाया जावें।

6. मूल वाद में वकील वादी ने मौजा मेड़ता की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074, खाता संख्या 1419, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी सम्वत् 2032 से 2035, खाता संख्या 711, नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति, जमाबंदी सम्वत् 2036 से 2039, खाता संख्या 2/3, 19, 1, 134 तथा जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074, खाता संख्या 448, 1 जमाबंदी सम्वत् 2036 से 2039, खाता संख्या 2/22, नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति, कस्बा मेड़ता के

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

खतौनी सम्वत् 1981, खाता संख्या 626, जमाबंदी सम्वत् 2024 से 2027, खाता संख्या 01, 01, 711 की प्रतियां की पेश की। वकील **प्रतिवादी संख्या 1 व 2** ने भू–प्रबंध विभाग द्वारा ग्राम मेड़ता के खसरा नम्बर 1623 का तुलनात्मक पत्र, मिलान क्षेत्रफल, नया खसरा नम्बर 1038, मिलान क्षेत्रफल 1159, मिलान क्षेत्रफल 1038, 1247, 1248, 1246 की फोटो प्रतियां पेश की।

7. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पुराना खसरा नम्बर 1795 व 1796 जिनके नये खसरा नम्बर 1253 व 1256 खतौनी के अनुसार वादी एवं अन्यों की खातेदारी का है। जिसके संबंध में विवाद न होने का स्वीकृत तथ्य है तथा इन खसरान के संबंध में वादी की कोई प्रार्थना नही है। वाद पत्र के अनुसार वादी के खसरा नम्बर 5503/1247 रकबा 0.47 हैक्टेयर के संबंध में घोषणा की प्रार्थना है। यह भी निर्विवादित तथ्य है कि खसरा नम्बर 5503/1247 के किसी भाग के संबंध में न तो वादी का क्लेम है और न वादी ने स्वयं के पक्ष में कोई प्रार्थना ही की है। स्वीकृत रूप से खसरा नम्बर 5503/1247 प्रतिवादी की खातेदारी का है। जिसके कुछ भाग के बेचान प्रतिवादी द्वारा किये जाने का उल्लेख वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी में है। वादी का विवादित खसरा 0.47 हैक्टेयर की सीमा से अधिक भूमि प्रतिवादी द्वारा बेचे जाने बेचाननामे निष्पादित किये जाने का उल्लेख किया किन्तु वाद पत्र में किन–किन व्यक्तियों को कितने–कितने क्षेत्रफल के बेचाननामे किये, ऐसा कोई विवरण नही दिया, जहां तक रकबा 0.47 हैक्टेयर की सीमा तक बेचाननामे करने

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

का प्रतिवादी को अधिकार है तथा बेचाननामों के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया जाना राजस्व अधिकारीयों का क्षेत्राधिकार है तथा खतौनी में बेचाननामों के जरिये नामान्तरकरण स्वीकृति का उल्लेख है। प्रथमतः प्रतिवादी रकबा 0.47 हैक्टेयर की सीमा से अधिक का बेचाननामा नही कर सकता तथा अधिक भूमि का बेचाननामा, खरीददार के साथ धोखा हो सकता है। द्वितीय में राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी 0.47 हैक्टेयर अधिक का नामान्तरकरण स्वीकार नही करते। रकबा 0.47 हैक्टेयर से अधिक भूमि का बेचाननामा किये जाने का वादकरण प्रकृट नही है। द्वितीय में वादी विवादित खसरा के किसी भाग का खरीददार नही है और न वादी का विवादित खसरा में कोई हित ही है, ऐसी स्थिति में विवादित खसरा के संबंध में वादकरण प्रकृट नही होता।

8. वाद पत्र में वादी ने दूसरी प्रार्थना पुराना खसरा नम्बर 1623, 1624 व 1798 का नये नक्शा में तरमीम बाबत है। पुराना खसरा नम्बर 1623 के वादी ने नये खसरा नम्बर 1038 होना बतलाया जबकि मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पुराना खसरा नम्बर 1623 वर्तमान में नेशनल हाई–वे खसरा नम्बर 1159 में सम्मिलित है तथा कथित नया खसरा नम्बर 1038 पुराना खसरा नम्बर 1622 का भाग है, जो नेशनल हाई–वे के पश्चिम में है, जो नक्शा में उल्लेखित है। पुराना व नया खसरा नम्बरान के दोनों नक्शों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादी के खसरा नम्बर 1795 व 1796 नया खसरा नम्बर 1253 व 1256 के पश्चिम में कट्टाणी रास्ता पुराना खसरा नम्बर 1798

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

नया खसरा नम्बर 1246 है। पुराना खसरा नम्बर 1798 के पश्चिम में पुराना खसरा नम्बर 1624 नया खसरा नम्बर 1247 है। नया सेटलमेंट में नेशनल हाई–वे का नया खसरा नम्बर 1159 कायम होने से खसरा नम्बर 1624 व 1623 सहित अन्य खसरान की जमीन नेशनल हाईवे में चली गई। नेशनल हाईवे में वादी की कोई जमीन नही गई, जिससे भी वादी का वादकरण प्रकृट नही है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार वकील प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. दावा में एवं प्रार्थना पत्र में स्वीकार की जाती है। दावा एवं प्रार्थना पत्र वादी/प्रार्थी का खारिज किया जाता है। मूल निर्णय वाद में नत्थी किया जावें एवं प्रति प्रार्थना पत्र में नत्थी की जावें।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

के.आर. चौहान

उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,

मेड़ता

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.11.27 15:43:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: